कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा जैसलमेर

कार्यालय आदेश

निदेषक माध्यमिक षिक्षा राज. बीकानेर के पत्रांक–षिविरा–मा./संस्था/एफ–1/12102/शा.षि. ग्रेड–III/सी.भ./2013–16 दिनांक 08.09.2016 के निर्देषानुसार जिला आवंटित अभ्यार्थियों का राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा शारीरिक प्रषिक्षण अनुदेषक ग्रेड–III के पद हेतु राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान)नियम –2008 के अनुसार पी.बी. –2 (9300–34800) ग्रेड पे. 3600 के पद पर चयनोनरांत संलग्न सूची के अभयार्थियों को नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किये जाने के फलस्वरूप इन अभ्यार्थियों को शारीरिक प्रषिक्षण अनुदेषक ग्रेड– III के पद पर दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रषिक्षणार्थी (प्रोबेष्नर ट्रेनी) के रूप में नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर शारीरिक प्रषिक्षण अनुदेषक ग्रेड– III के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रषिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ1(12) डीओपी/ए–II/2005 दिनांक 20.01.2006 एवं एफ 12 (06)एफडी(नियम)/2005 दिनांक 13.03.2006 के प्रावधानानुसार विधमान वेतनमान/नियत परिश्रमिक देय होगा। राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.8(1)कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानान्तर्गत इनकी नियुक्ति अंषदायी पैंषन योजनान्तगर्त होगी।

चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति प्रसारित विज्ञप्ति के सन्दर्भ में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नाकिंत बिन्दुओं पर कार्यवाही आवष्यक रूप से संपादित करेंगे।

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवष्यक नहीं होगा।
2. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांकः एफ7(1) डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पष्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आषय का आवष्यक शपथ पत्र 10/– रू. के नॉन ज्यूडिषियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रषैक्षिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रषैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रषैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जाती है अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से 10/–रू. के नॉन ज्यूडिषियल स्टाम्प पर इस आषय का शपथ पत्र में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रषैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त करने एवं उनके विरूद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी स्थिति में यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
4. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से नियुक्ति दिये जाने से पूर्व आप अपने स्तर पर करेंगे, मिलान में यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो उसके सम्बन्ध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
5. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पष्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें। उपरोक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिष्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरांत ही अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को नियुक्ति प्रदान करने सम्बन्धी कार्यवाही करें।
6. धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग को कार्मिक(क–2)विभाग के पत्र कमांक प.17(9)कार्मिक/क–/2015 (प्रति संलग्न) के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डीबीसीडब्ल्यू एल 6046/99 रतनलाल बागड़ी बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 10.08.2015 से जाट समुदाय को राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण का लाभ देय नहीं होने सम्बन्धी निर्देषों की पालना सुनिष्चित की जावें। यदि धौलपुर/भरतपुर जिले के जाट जाति वर्ग के किसी अभ्यर्थी, जो अन्य पिछड़ा वर्ग की रिक्तियों के प्रति चयनित है एवं नियुक्ति हेतु

आवंटित कर दिया गया है, तो ऐसे अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान नहीं की जावे एवं उसका आवेदन पत्र इस कार्यालय का लौटाया जावे।

7. कार्यग्रहण से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छाया चित्र(फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावे कि वही अभ्यर्थी नियुक्ति प्राप्त करे, जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र(फोटो) चस्पा है।
8. इनकी नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प. 17(4) शिक्षा–2/2009 दिनांक 29.03.2016 के पार्ट बी में वर्णित निर्देश संख्या 1 से 9 के अनुसार पूर्व में आयोजित परामर्श शिविर के आधार की गई है।
9. पद पर कार्यग्रहण करने पर इनके कार्यग्रहण की सूचना तुरन्त इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावे।
10. नियुक्त आशार्थियों के कार्यग्रहण से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से करें।
11. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं एवं दस्तावेज सही है, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।
12. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने सम्बन्धी बचनबंधता (न्दकमतजांपदह) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावे।

इन्हें उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापित स्थान पर दिनांक 13.10.2016 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। संबंधित संस्थाप्रधान इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल शाला दर्पण पर अपडेट करेंगे एवं इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

(फूलशंकर मीणा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक जैसलमेर

क्रमांकः–जिशिअ/माध्य/जैसल/संस्था–1/शापि प्रपि अनु ग्रेड–III पद/2016/581–88 दिनांकः– 27.09.2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक, जैसलमेर
5. संबंधित संस्थाप्रधान..
6. कार्मिक..
7. वरिष्ठता अनुभाग/लेखा अनुभाग/सामान्य अनुभाग, स्थानीय कार्यालय/रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक जैसलमेर

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा विभाग जैसलमेर

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III भर्ती 2013 में चयनित अभ्यार्थियों के पदस्थापन आदेश

क्रमांकः–जिशिअ/माध्य/जैसल/संस्था–1/शाशि अनु ग्रेड–II/आरपीएससी 2013/2016/ दिनांक

क्र.स.	मेरिट क्रमांक	वर्ग	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थाई पता	जन्मतिथि	चयन वर्ग		पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	8	9		10
1	2087	BC,WE,DV	SHIKSHA DEVI	HARISH CHANDER	मकान नं. 20, सैक्टर नं. 12, नजदीक खालसा स्कूल, हनुमानगढ़ जंक्शन जिला– हनुमानगढ़	03/05/1987	GENF	DV	राबामावि बडोड़ागांव

(फूलशंकर मीणा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक जैसलमेर